तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/4333/2006/बूंदी** **भंवरलाल बनाम कैलाश अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—03.12.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील सं0 29/2005 में पारित आदेश दिनांक 03—04—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अतिरिक्त कलक्टर बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 04—01—05 के द्वारा रेस्पो0 के हक में किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध होना मानते हुए निरस्त किया। राजस्व अपील प्राधिकारी ने यह मानते हुए कि अपीलाण्ट व्यथित पक्षकार नहीं है केवल सरकार को ही व्यथित पक्षकार होना मानते हुए रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर ली जबकि अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, साथ ही अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्शाया कि वो भूमिहीन कृषक है तथा अपीलाण्ट की भूमि आवंटित खसरा नम्बर 3505/3807 से लगती हुई है। अति0 कलक्टर ने विवादित आराजी का अपीलाण्ट को रेस्पो0 के मुकाबले में आवंटन का पात्र अधिक माना किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने इस दृष्टिकोण से रेस्पो0 की अपील को निर्णित नहीं की बल्कि रेस्पो0 के पास 43 बीघा 16 बिस्वा भूमि होते हुए भी उसे भूमिहीन मानकर अति0 कलक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। आवंटित रकबा खसरा संख्या 3505/3807 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर 214, 216, 220 जिसका कि कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा से अधिक नहीं है से लगती हुई है। प्रश्नगत भूमि आवंटन नियम के तहत ही आवंटन की जा सकती थी एवं नियम 19 के तहत आवंटन किये जाने के लिए केवल अपीलाण्ट ही अधिकारी था। रेस्पो0 की भूमि आवंटित रकबा से लगती हुई नहीं है बल्कि आवंटित रकबा एवं रेस्पो0 की भूमि के बीच में नाला है। विकल्प में यदि रेस्पो0 को आवंटन नियम 19 के तहत अपीलाण्ट के साथ अधिकारी भी माना जावे तो केवल ऐसी स्थिति में आवंटन की प्रक्रिया है उसको अपनाये बिना भूमि रेस्पो0 को आवंटन नहीं की जा सकती थी। आवंटन सलाहकार समिति ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पो नं0 1 व 2 के हक में आवंटन की है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से पुराना चला हा रहा है आवंटन की दिनांक को अपीलाण्ट विवादित भूमि पर काबिज था अपीलाण्ट को बेदखल किये जाने से पूर्व रेस्पो0 को भूमि आवंटन नहीं की जा सकती थी एवं ना ही रेस्पो0 को विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त हुआ । आवंटित रकबा रेस्पो0 नं0 1 व 2 को आवंटन करने के बाद कभी उनके कब्जा काश्त में नहीं रही एवं ना ही रेस्पो0 ने आवंटन की शर्तों की पालना की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/4333/2006/बूंदी** **भंवरलाल बनाम कैलाश अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है। राजस्व अपील अधिकारी ने रेस्पो को आवंटन होने के बाद उसके द्वारा आवंटन शर्तों के पूरा किये जाने पर विचार किये बिना ही रेस्पों0 की अपील स्वीकर कर नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–04–2006 निरस्त फरमाया जावे। उन्होनें अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (8) 2001 पेज 52, आरआरटी 2008 (2) पेज 920 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4– अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 ने आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें पटवारी हल्का द्वारा रेस्पो0 के पिता के नाम जितनी भूमि थी उसका पूरा विवरण अंकित किया गया है। उक्त सम्पूर्ण आराजी में रेस्पो0 का जो हिस्सा बनता है उसका भी अंकन किया गया है। रेस्पो0 के खाते में आवंटित भूमि के अलावा और कोई भूमि नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति ने प्रार्थना पत्र में आये सभी तथ्यों को ध्यान में रखने के पश्चात् उनके पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 06–02–2004 जारी किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति ने रेस्पो0 को आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन आदेश जारी किया है। रेस्पो0 द्वारा आवंटन के समय किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है। आवंटित आराजी पर रेस्पो0 का पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का आवंटन रेस्पो0 को उनकी पत्नी निर्मला को संयुक्त रूप से किया गया है। अपीलाण्ट ने आवंटन के समय न तो कोई आपत्ति की है और न ही उक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–04–2006 बहाल रखा जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (18) 2011 पेज 418 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5– हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 06–02–2004 को ग्राम जजावर में स्थित खसरा संख्या 3505/3807 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पो0 के पक्ष में किया था। उक्त आवंटन से व्यथित होकर अपीलाण्ट भंवरलाल ने न्यायालय अति0 जिलाधीश बूंदी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी ने अपने आदेश दिनांक 04–01–2005 के द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार कर रेस्पो0 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 06–02–2004 निरस्त कर दिया। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), बूंदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–01–2005 से व्यथित होकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष रेस्पो0 ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रथम अपील पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 03–04–2006 के द्वारा अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/4333/2006/बूंदी** **भंवरलाल बनाम कैलाश अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04–01–2005 को निरस्त कर रेस्पो0 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 06–02–2004 को बहाल रखने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–04–2006 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने मण्डल के समक्ष अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत द्वितीय अपील पेश की है। आवंटन पत्रावली के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट में आवंटी के पिता के पास 32 बीघा 9 बिस्वा भूमि होना अंकित किया है साथ ही यह भी अंकित किया है कि उक्त भूमि में से 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि सिंचित तथा 18 बीघा 2 बिस्वा भूमि असिंचित भूमि है जो 46 बीघा 16 बिस्वा असिंचित भूमि के समान है। आवंटी को 15 बीघा भूमि पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त हुई है जिसका आवंटी द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है और न ही पटवारी रिपोर्ट में उक्त भूमियों बाबत् कोई विवरण आदि अंकित किया गया है। आवंटित भूमि अपीलाण्ट की भूमि के समीप छोटी पट्टी के रूप में स्थित है। छोटी पट्टी भूमि का नीलामी के द्वारा ही आवंटन किया जा सकता है। आवंटी द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये थे। आवंटी द्वारा उक्त आवंटन तथ्यों को छुपाकर करवाया जाना प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हमनें परीक्षण न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा पारित निर्णय अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर विधिसम्मत प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

6– परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–04–2006 निरस्त किया जाता है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–01–2005 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य